दैनिक जागरण

मधुर वचन औषधि हैं और कटु वचन तीर

मुठभेड़ का सच

हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपी जिस तरह पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए उसे लेकर केवल सवाल ही नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि खुशी भी जताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराने और यहां तक कि उसे न्याय की संज्ञा देने वालों में आम आदमी के साथ सांसद भी शामिल हैं। ऐसा तब है जब इस मुठभेड़ से जुड़े कई प्रश्न अनुत्तरित हैं और हर कोई इससे अवगत है कि पुलिस कई बार फर्जी मुठभेड़ों को भी अंजाम देती है। फर्जी मुठभेड़ें भीड़ की हिंसा का ही एक रूप हैं। यह जल्द सामने आना ही न्याय के हित में होगा कि हैदराबाद पुलिस ने जनाआक्रोश के दबाव में आकर मुठभेड़ को अंजाम दे दिया या फिर उसने वाकई आत्मरक्षा में सामूहिक दुष्कर्म कांड के आरोपियों को मार गिराया? यदि इस सवाल का जवाब सामने आने के पहले ही एक बड़े वर्ग की ओर से हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई को जायज बताया जा रहा है तो इसकी जड़ में दुष्कर्म के मामलों का बढ़ना, महिला सुरक्षा का सवाल कहीं अधिक गंभीर हो जाना और न्यायिक तंत्र का शिथिल होना है। इस शिथिलता का शर्मनाक प्रमाण है सात साल पहले देश को दहलाने वाले निर्भया कांड के गुनहगारों की दी गई सजा पर अमल न हो पाना।

किसी को सामने आकर यह बताना ही चाहिए कि आखिर निर्भया के गुनहगारों की सजा पर अमल में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल यही नहीं, इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाओं के निस्तारण में जरूरत से ज्यादा देरी क्यों हो रही है और ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की दर इतनी कम क्यों है? क्या निर्भया कांड के बाद कानूनों में तमाम संशोधन यही दिन देखने के लिए किए गए थे? अगर नहीं तो फिर हालात जस के तस, बल्कि उससे भी बदतर क्यों दिख रहे हैं? समाज को इन सवालों का जवाब मांगने के साथ ही इस पर भी गौर करना होगा कि दुष्कर्मी तत्व कहीं बाहर से नहीं आते। वे समाज का ही हिस्सा होते हैं। आम तौर पर ये वही तत्व होते हैं जो सरे आम महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं और उन्हें वासना की पूर्ति का साधन मात्र समझते हैं। समाज को अपने बीच सक्रिय ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कुछ करना ही होगा। वास्तव में एक ओर जहां समाज को महिलाओं को ओछी निगाह से देखने वालों के खिलाफ सक्रिय होने की जरूरत है वहीं दूसरी ओर नीति-नियंताओं को यह समझने की जरूरत है कि संचार तकनीक के जरिये हो रहे अश्लीलता के प्रसार ने एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप ले लिया है।

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। इन दिनों जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने जानकारी दी कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में प्रत्येक सरकारी डिग्री कॉलेज का अपना भवन तैयार हो जाएगा। इसके लिए अनुपूरक बजट में बाकायदा 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। दरअसल उत्तराखंड गठन के 19 साल बाद भी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लगातार सवालों के घेरे में है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति बेहद गंभीर है। उच्च शिक्षा के नाम पर हो रही सियासत ने हालात को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। वोट की फसल काटने के लिए माननीय डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन शायद ही कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सोचा जाता हो। पिछले दिनों बताया गया कि प्रदेश के 20 ब्लॉकों और 15 विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं। इन क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दे दिए गए। यह आलम तब है कि जबकि कि दो सौ से कम छात्रसंख्या वाले डिग्री कॉलेजों को नजदीकी कॉलेजों में मर्ज करने पर विचार किया जा रहा है। जाहिर ऐसे में यह सवाल मौजू है कि जब कॉलेजों को पर्याप्त संख्या में छात्र में नहीं मिल रहे तो एक के बाद एक कॉलेज खोलने का क्या औचित्य है। सच्चाई यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज जैसे संस्थान एक या दो कमरे में संचालित किए जा रहे हैं। कॉलेज में फैकल्टी का अभाव है तो छात्रों को अपने पसंदीदा विषय के अध्ययन की सुविधा भी नहीं है। इतना ही नहीं इन कॉलेज में न्यूनतम 180 दिन पढ़ाई कराना एक चुनौती बन गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर को छोड़ दें तो प्रदेश का कोई भी संस्थान देश में टॉप-100 में जगह नहीं बना पाया। इस पर चिंतन और मनन की जरूरत है कि 12वीं के बाद क्यों पर्वतीय क्षेत्रों से बच्चे देहरादून, हरिद्वार अथवा नैनीताल और हल्द्वानी का रुख करने पर विवश हैं। प्रश्न यह है कि स्कूली शिक्षा के लिए उत्तराखंड भले ही छात्र-छात्राओं की पसंद हो, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वे अन्य राज्यों का रुख करना पसंद करते हैं। अच्छा है कि सरकार सभी सरकारी कॉलेजों के भवन बनाने के लिए दृढ़संकल्पित है, लेकिन इंफास्ट्रक्चर और गुणवत्ता पर भी फोकस करना होगा।

सरकार अब उच्च शिक्षा पर फोकस कर रही है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ भवन खड़े कर देने पर्याप्त नहीं है। फोकस गुणवत्ता पर होना चाहिए

निर्भया के बाद भी बदलाव का इंतजार

विक्रम सिंह

फास्ट ट्रैक अदालतों को सक्रिय करने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे तय अवधि में दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण करें

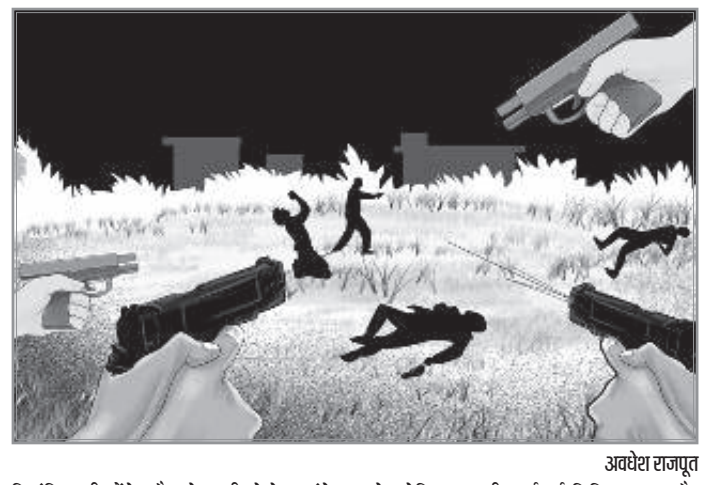

अवधेश राजपूत

हैदराबाद में वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म कांड के चारों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने की घटना ने संसद से लेकर सड़क तक बहस तेज कर दी है। पूरा देश इसी घटना पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। पुलिस अधिकारियों की मानें तो पुलिस इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद विवेचना के क्रम में उन्हें घटनास्थल पर ले गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर आक्रमण कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और अंततोगत्वा चारों पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। इस मुठभेड की खबर सामने आते ही लोग पक्ष और विपक्ष में खड़े हो गए हैं। एक समूह कह रहा है कि यही होना चाहिए था। उसने पुलिस को बधाई भी दी। हैदराबाद में तो जश्न जैसा मनाया गया। दूसरा समूह यह कह रहा है कि यह औचित्यपूर्ण नहीं है। पुलिस को और सावधानी बरतनी चाहिए थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रातःकाल आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया? क्या वांछित पुलिस बल नहीं था? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और चारों आरोपियों को निष्क्रिय करना पड़ा। संदेह भरे सवाल उठना स्वाभाविक हैं, परंतु जो कानूनी स्थिति है उसे भी समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा या किसी अन्य की सुरक्षा अथवा जीवन को खतरे के आधार पर वांछित बल का प्रयोग किया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय दंड संहिता ने प्रदान किया है, लेकिन बल प्रयोग का यह अधिकार मनमाना नहीं है। यदि अनुपातिक बल का प्रयोग नहीं किया गया तो यह अधिकार समाप्त हो जाता है।

क्या हैदराबाद पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वह वांछित था और उसी अनुपात में इस्तेमाल किया गया जो आवश्यक था या उससे अधिक? आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत हैदराबाद मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। चूंकि पुलिस मुठभेड़ के मामलों में उच्चतम न्यायालय और मानवाधिकार आयोग की ओर से दिए गए दिशानिर्देशों का भी पालन आवश्यक होता है इसलिए इस मुठभेड़ के मामले में भी एक अपराध पंजीकृत किया जाएगा और उस अपराध की विवेचना क्राइम ब्रांच सीबीसीआइडी करेगी, न कि स्थानीय पुलिस। ऐसी सावधानियां यही सुनिश्चित करने के लिए बरती जाती हैं ताकि यदि पुलिस ने स्वार्थवश या जन भावनाओं के दबाव में कोई मनमाना व्यवहार किया हो तो उसे सामने लाया जा सके। पुलिस की जिम्मेदारी जनभावनाओं के अनुरूप या अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने की नहीं होती। उसे संविधान और कानून के तहत मिले अधिकारों के तहत ही काम करना होता है। अच्छा होगा कि हैदराबाद मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच जल्द हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। यदि हैदराबाद पुलिस की कोई गलती सामने आती है तो हत्या का मुकदमा कायम होने के साथ मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मी निलंबित भी होंगे और जेल भी भेजे जाएंगे, लेकिन यदि मुठभेड़ सही मानी जाती है तो पुलिस कर्मी पुरस्कृत भी हो सकते हैं।

एक बड़े समूह की ओर से हैदराबाद मुठभेड़ को सही बताने का जो काम हो रहा है उसे भी समझने की जरूरत है। देश इससे स्तब्ध है कि निर्भया के गुनहगारों को सात वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी फांसी की सजा नहीं हो पाई। येन-केन प्रकारेण सजा विलंबित ही होती गई। इस विलंब के कारण समझ से परे हैं। यह देखना दयनीय है कि कानूनों में संशोधन के उपरांत भी हमारी बच्चियों और महिलाओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। दुष्कर्म के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में दुष्कर्म के आरोपी दोषमुक्त हो रहे हैं। निर्भया फंड का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण वांछित स्तर का नहीं हो पाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित गति से मामलों का निस्तारण नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जन आक्रोश स्वाभाविक है। पुलिस के ऊपर यह दबाव भी रहता है कि वह कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे जनता में एक भरोसा पैदा हो, लेकिन उसकी कार्रवाई विधि सम्मत और कानून की परिधि के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दबाव में आकर वह ऐसे कार्य करने लगे जो गैरकानूनी हों। उसकी द्वारा की जाने वाली मुठभेड़ फर्जी भी हो सकती है। कहीं भी फर्जी मुठभेड़ पुलिस अपसंस्कृति का भाग नहीं बन सकती। उसे बनने भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ आवश्यकता इसकी भी है कि आततायियों के मन में पुलिस और कानून का भय दिखना चाहिए। यह आज दिखाई नहीं देता। पुलिस कहीं अपराधियों के प्रति ढिलाई बरतती है तो कहीं चार्जशीट लगाने में देरी करती है। साक्ष्य संकलन में भी लापरवाही दिखती है। इस सबके चलते आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं या फिर उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। उन्नाव के ताजा मामले में ऐसा ही हुआ। जिन आरोपियों ने दुष्कर्म पीड़ित महिला को जलाया उन्हें आखिर जमानत कैसे मिल गई? सवाल यह भी है कि जमानत मिलने पर उन पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई? 13वें क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट के पारित होने के बाद आइपीसी में धारा 166ए एवं उपधारा ई सम्मिलित की गई थी ताकि यदि कोई पुलिसकर्मी कर्तव्य के प्रति उदासीन हो तो उसके खिलाफ भी अपराध पंजीकृत हो सके। इसमें दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे दृष्टांत कम दिखाई देते हैं कि किसी गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मी को धारा 166ए के अंतर्गत जेल भेजा गया हो। यह अक्षम्य है कि कर्तव्य के प्रति उदासीन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति ढिलाई बरती जाए। पुलिस नेतृत्व से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराधियों के साथ-साथ अपराध की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी प्रभावी कार्रवाई करे। पुलिस प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती में भी प्राथमिकता बरती जानी चाहिए। अगर बेटियों-महिलाओं की सुरक्षा करनी है तो यह प्राथमिकता के आधार पर करना ही होगा।

दुष्कर्म के मामलों में न्याय होने में विलंब के कारण देश की जनता के मन में यह सवाल घर कर रहा है कि निर्भया जैसा खौफनाक मामला सामने आने के बाद आखिर सरकार ने किया क्या? अब यह अनिवार्य है कि फास्ट ट्रैक अदालतों को न केवल सक्रिय किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे एक तय अवधि में मामलों का निस्तारण करें। दुष्कर्म के मामलों में विवेचना 90 दिन के बजाय 45 दिन में की जानी चाहिए। विशेष परिस्थिति में ही यह अवधि न्यायपालिका की अनुमति से ही 45 और दिन बढ़ाई जानी चाहिए। बेहतर होगा कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए। इससे भी आवश्यक यह है कि पुलिस की विवेचना समाप्त होने के बाद समस्त न्याय प्रक्रिया का निस्तारण 180 दिन के अंदर संपन्न करना सुनिश्चित किया जाए। ऐसा करके ही पुलिस और कानून के प्रति लोगों के भरोसे को बल दिया जा सकता है।

(लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख रहे हैं)

response@jagran.com

जब अपने ही सताएं तो बच्चे कहां जाएं

क्षमा शर्मा

सौतेली मां का बच्चों पर आतंक तो पहले से रहा है, पर इन दिनों सौतेले पिताओं के अत्याचार के मामले भी सामने आ रहे हैं

वर्षों पहले इंदु और आशीष की घटना ने लोगों को दहला दिया था। इंदु ने आशीष के साथ रहने के लिए अपने दो छोटे बच्चों को आग लगा दी थी। अखबारों ने लिखा था कि जब इस घटना के बारे में आशीष से पूछा गया तो वह हंस रहा था। दो छोटे बच्चों को आग लगाना और उस पर हंसना, सबको भयानक लगा था। बाद में इन दोनों का क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन इन दिनों तो ऐसी घटनाएं जैसे आम हो चली हैं। एक हफ्ते के भीतर दो ऐसी घटनाएं पढ़ीं कि उन अनजाने बच्चों के प्रति मन करुणा से भर उठा, जिन्होंने अपने ही परिजनों के कारण जान गंवाई हैं। अपने ही बच्चों से निजात पाने के इतने क्रूरतम तरीके। एक महिला के दो बच्चे थे। वह अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। बड़े बच्चे को उसने गांव में अपने माता-पिता के साथ छोड़ दिया था। दूसरा बच्चा छोटा था, इसलिए उसे साथ ले आई थी। जिसके साथ रहती थी, वह आदमी इस बच्चे को बहुत मारता-पीटता था। एक दिन उसने इस बच्चे को इतना मारा कि उसकी सांस उखड़ गई। मां ने यह देखा तो बच्चे का गला दबा दिया। दूसरी घटना में एक महिला की दूसरी शादी हुई। पहली शादी से उसकी चार साल की एक बच्ची थी। सौतेले पिता ने बच्ची के सीने पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह चल बसी।

सौतेली माताओं के अत्याचार से न केवल हमारे ग्रंथ, बल्कि समाज में बेशुमार कहानियां भरी पड़ी हैं। हालांकि सभी सौतेली मांएं बुरी नहीं होती हैं, वे अच्छी भी होती हैं। आमतौर पर तो वे पति पर पूरा अधिकार चाहती हैं इसलिए वे पहली शादी से हुए बच्चों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। वे सारे अधिकार सिर्फ अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखना चाहती हैं। समाज में सौतेली मां का बच्चों पर आतंक रहा है, लेकिन इन दिनों दूसरे पिताओं यानी सौतेले पिताओं के अत्याचार के किस्से भी पढ़ने को मिलते हैं। जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं।

पहले सौतेले पिता कहानियों, स्मृतियों में इसीलिए नहीं आते थे, क्योंकि तब वे समाज में मौजूद नहीं थे। आमतौर पर औरतों की दूसरी शादी नहीं होती थी। पति के छोड़ देने या विधवा होने पर वे अकेली जीवन काटने को मजबूर होती थीं, जबकि आदमी पत्नी के मरते ही फौरन दूसरा विवाह कर लेते थे और बच्चों की सौतली मां ले आते थे। बहुत बार ये माताएं बच्चों से भी उम्र में छोटी होती थीं। बेमेल विवाह के ऐसे किस्से रोज देखे जाते थे। प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला ऐसे ही बेमेल विवाह की कहानी है, मगर उसमें सौतेली मां एक अच्छी महिला है। वक्त बदल गया। समाज और कानून ने औरतों के दूसरे विवाह को स्वीकार किया। परिवारों में अब दूसरी मांएं ही नहीं, दूसरे पिता भी आते हैं। और यह कितना अफसोसनाक है कि वे अपने परिवार में किसी दूसरे के बच्चे को रहने देना नहीं चाहते। सारी इंसानियत स्वार्थ और किसी दूसरे पुरुष के बच्चे को देखकर नफरत में बदल जाती है। जैसे सौतेली माताओं को अपने पति के घर में किसी दूसरे का बच्चा नहीं चाहिए, वैसे ही पुरुषों को भी किसी दूसरे आदमी का बच्चा नहीं चाहिए। इसे वे अपनी तौहीन समझते हैं। औरतें इस बात को अच्छी तरह से समझती भी हैं। इसलिए अनेक बार बच्चों के कारण शादी नहीं करतीं।

वर्षों पहले साथ काम करने वाली एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। उसे अपने पति के स्थान पर उसी दफ्तर में नौकरी मिल गई थी। मैंने एक बार यों ही जिज्ञासावश उससे पूछा कि क्या वह दोबारा विवाह के बारे में नहीं सोचती? आखिर कब तक ऐसे अकेली रहेगी? तब उसने कहा था-मैडम, लोग मुझसे तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं अपनाना चाहते। वे कहते हैं कि उसे अपने साथ न लाऊं। अब भला उस बच्चे को कहां छोड़ूंगी। उसके पिता तो पहले ही नहीं हैं। अब मां भी उसका साथ छोड़ दे तो वह कहां रहेगा? किसके भरोसे रहेगा। मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगा कि मैंने अपने सुख के लिए उसका जीवन तबाह कर दिया। एक तरफ हमारा जीवन है। उसके अपने तर्क हैं, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का जीवन, जहां माता-पिता के निर्णयों के कारण वे तरह-तरह की हिंसा, यहां तक कि जीवन गंवा देने को मजबूर हैं। जाहिर है जब अपने ही सताएं तो बच्चे कहां जाएं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

दुष्कर्म के मामलों में सुनाई गई सजा का प्रतिशत

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

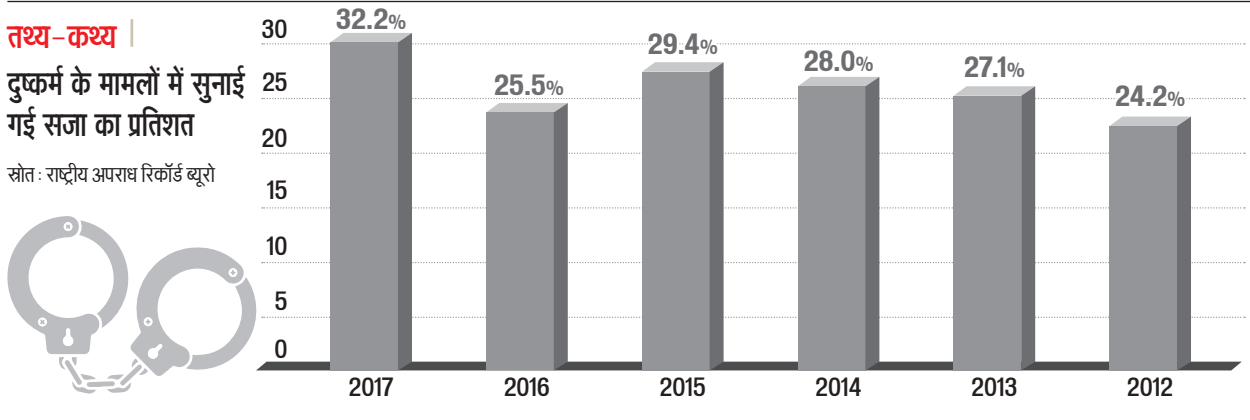

ऊर्जा

सहनशीलता

सहनशीलता में एक ऐसी अद्भुत शक्ति समाई रहती है जो आत्म चेतना को अमरत्व प्रदान कर अजेय बना देती है। दूसरी ओर जहां सहनशीलता का अभाव रहता है वहां व्यक्ति के टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जीवन का सत्य सहनशीलता ही है। अंत में जीत उसी की होती है जो जीवन में पड़ रही चोटों से विचलित न होकर इन्हें धैर्य पूर्वक सहता और स्वीकार करता रहता है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता अधिक होती है उसे जीवन में आने वाले कष्ट, कष्ट के रूप में नहीं लगते हैं। सहनशीलता यदि सामान्य है तो जीवन में प्रतिक्षण आने वाले अधिकांश कष्टों का निवारण विवेक का प्रयोग करके किया जा सकता है, किंतु जहां सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं होती है वहां ऐसे लोग जीवनपर्यंत अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण ऐसे लोग जीवनपर्यंत भारी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान उठाते रहते हैं।

मानव स्वभाव में क्रोध, इच्छाएं, लालसाएं, अहंकार ऐसे अवगुण हैं जो कुछ न कुछ हर व्यक्ति में रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनमें इन चारों अवगुणों में से किसी भी अवगुण के कुछ अंश का समावेश न हो। जिन लोगों में इस प्रकार की कमियों का अंश बहुत ही कम होता है वे लोग अपने विवेक का प्रयोग करके इन कमियों से होने वाले नुकसान से अपने को बचा लेते हैं। इसे सामान्य स्थिति ही कही जाएगी, किंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें यही कमियां आसमान को छूती नजर आती हैं। अर्थात उनमें इन कमियों का अंश बहुत अधिक होता है। यह निश्चित ही व्यक्ति की असामान्य स्थिति है। ऐसे में इन पर विशेष रूप से ध्यान देकर इन्हें सामान्य स्थित तक लाना ही पड़ेगा।

सहनशीलता एक ऐसी दवा है जो ऐसी सभी स्थितियों को सामान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हर व्यक्ति को इतना सहनशील अवश्य होना चाहिए ताकि उसका क्रोध, उसकी लालसाएं एवं अहंकार उसके मस्तिष्क पर अपना विपरीत प्रभाव न डाल सकें।

वीके जायसवाल

भय के माहौल में बेटियां

डॉ. मोनिका शर्मा

योग्यता और क्षमता के बावजूद देश की अधिकांश महिलाएं खुद को चाहरदीवारी में कैद करने को मजबूर हैं

आज श्रमशक्ति में अहम भागीदारी निभा रहीं बेटियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षित दफ्तर पहुंचने और घर लौट आने की ही है। असुरक्षा के कारण आज भी महिलाएं योग्यता और क्षमता के मुताबिक नौकरी नहीं चुन पातीं। असुरक्षित हो चले परिवेश में महिलाएं एक बंधे हुए रूटीन में ही काम कर पाती हैं। यही वजह है कि उच्च शिक्षा के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद 1994 से महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी लगातार घट रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने कुछ समय पहले महिला श्रम बल की हिस्सेदारी को लेकर यह अनुमान जारी किया था। यानी योग्यता और क्षमता के बावजूद देश की महिलाएं खुद को घरों में कैद करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रखने वाले अभिभावक भी डरे-डरे रहते हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले आए एसोचैम के एक सर्वेक्षण में दिल्ली की 92 प्रतिशत, बेंगलुरु की 85 प्रतिशत, कोलकाता की 82 प्रतिशत और हैदराबाद की 18 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि वह दिन और रात दोनों ही पाली में काम करने में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं शत प्रतिशत महिलाओं ने माना कि महिलाओं की सुरक्षा की समस्या देश की किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ी है।

वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़े भी आधी आबादी की चिंतनीय स्थिति को सामने रखने वाले हैं। वर्ष 2017 की रिपोर्ट बताती है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में करीब छह फीसद का इजाफा हुआ है। एनसीआरबी के अनुसार घर के भीतर अपनों का दुर्व्यवहार हो या नाबालिग बच्चियों के शोषण के मामले हों, देश में हर उम्र, हर वर्ग की महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। 18 से 30 साल की युवतियों के लिए तेलंगाना देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। वर्ष 2017 में वहां दर्ज हुए दुष्कर्म के कुल मामलों में 91 फीसद पीड़िताएं 18 से 30 साल की हैं।

आज की बेटियां कामकाजी बन रही हैं। आत्मनिर्भर बन परिवार ही नहीं देश की तरक्की में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर रही हैं। बावजूद इसके नैतिक और सामाजिक मूल्यों की गिरावट के इस मौजूदा दौर में आधी आबादी भय के परिवेश में जीने को विवश है। हैदराबाद में हुई सहायता करने के नाम पर दरिंदगी की घटना भी पूरी सामाजिक व्यवस्था से भरोसा उठाने वाली है, कामकाजी बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को सामने रखती है। ऐसी घटनाओं से न सिर्फ इंसान का एक दूजे से भरोसा डगमगा रहा है, बल्कि खत्म होते सामाजिक ताने-बाने की हकीकत भी हमारे सामने आ रही है। दुखद है कि ऐसे हादसे उस समाज के बीमार और बदरंग होते चेहरे को दिखाते हैं, जिसमें बेटियों की सुरक्षा साझी जिम्मेदारी समझी जाती है। आपसी सहयोग और सम्मान विचार और व्यवहार का हिस्सा रहे हैं। जरूरी है कि समाज, परिवार और सरकार सभी चेतें। न सिर्फ ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, बल्कि त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को सख्त सजा भी दी जाए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

दिशाहीन करने वाला निर्णय

कांग्रेस को दिशा देने वाला फैसला शीर्षक से प्रकाशित रशीद किदवई के लेख से सहमत नहीं हुआ जा सकता। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जाने का कांग्रेस का यह निर्णय पार्टी को दिशाहीन करने का काम करेगा। याद कीजिए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विचारधारा की लड़ाई की बात कही थी, लेकिन आज वही विचारधारा से समझौता करके कट्टर शिवसेना के साथ सरकार बना रही हैं। यह कैसा वैचारिक संघर्ष है जो सत्ता की मलाई देखते ही ढोंग बनकर रह जाता है। यह तो कांग्रेस की पूर्णतया मौकापरस्ती और कपट की राजनीति है। देश भर में कांग्रेस की विचारधारा का झंडा बुलंद करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं में इसका क्या संदेश जाएगा? क्या इस पर कांग्रेस नेतृत्व ने कभी विचार किया है? यह यक्ष प्रश्न है। महाराष्ट्र में विभागों के बंदरबांट का जो खेल चल रहा है उसे पूरा देश गौर से देख रहा है। बेहतर होता कि कांग्रेस अपनी वैचारिक पूंजी बचाकर जनता के बीच सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करती तो उसकी कहीं ज्यादा विश्वसनीय छवि बनती।

अभय सिंह, आदर्श नगर, अयोध्या

बेटियों की सुरक्षा

देश के हर राज्य में हम नारी को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। जिन बेटियों को हमने खो दिया है उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे घृणित लोगों से अन्य बेटियों को बचाने का प्रयास अवश्य किया जाया जा सकता है। इसके लिए हम सभी को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। अच्छे संस्कारों से ही ऐसे अक्षम्य आपराधिक मानसिक बीमार लोगों से मातृशक्ति की रक्षा की जा सकती है। घर, विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में भी परिवार के साथ शिक्षकों को पूरी ईमानदारी और गंभीरता से नारी सम्मान जैसे विषयों के प्रति बच्चों तथा युवाओं को समय-समय पर जागरूक करते रहने की जरूरत है। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक बच्चे किस संगति में रहते हैं इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए उनको गलत हरकतों के लिए प्यार तथा सख्ती से मना करते हुए उन पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए। बेटियों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से सक्षम बनाने का भी प्रयास करें। परिवार तथा अध्यापकों का दायित्व बनता है कि बच्चे किसी भी प्रकार के नशे अथवा बुरी संगति में नहीं पड़ें इसके लिए विशेष ध्यान देना होगा। सभी स्थानों पर हमारी रक्षा के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन नहीं हो सकता है, इसलिए हमको भी एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए बहन-बेटियों की रक्षा करने में उनकी मदद करने की जरूरत है। आप किसी स्थान पर बेटी की रक्षा करते हैं तो किसी अन्य स्थान पर आपकी बेटी की रक्षा करने के लिए भी आप जैसा कोई जरूर आगे आएगा।

आचार्य राम कुमार बघेल , पलवल

सब आएंगे

मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर चुका है कि अब इस धरती का धैर्य साथ नहीं दे रहा है। वह इसके प्रतिरोधस्वरूप कभी तूफान, कभी अतिवृष्टि, मौसम असंतुलित करके बार-बार चेतावनी दे रही है। पता नहीं कितनी बार दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इस असंतुलन को ठीक करने के लिए वैश्विक जलवायु सम्मेलन हो चुके, परंतु कुछ देशों का स्वार्थ इन सम्मेलनों के उद्देश्य पर पानी फेर देता है। विचारणीय है कि इन असंतुलनों से जब यह धरती पर संकट आएगा तो उसकी चपेट में सब आएंगे। संपूर्ण मानव मात्र के हित की सोच पर विचार कर ही कोई निर्णय करना चाहिए।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

प्याज के बढ़ते भाव

देश में प्याज 75 से 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इस बीच तुर्की से प्याज आयात की खबर आ रही है। गौरतलब है कि हमारे देश के ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व बिहार समेत कई राज्यों में प्याज की भरपूर पैदावार होती है। वहीं सरकारी गोदामों में रखे प्याज के हर साल सड़ जाने या खराब हो जाने की खबरें आती हैं। इसके बावजूद भी हमें विदेशों से प्याज आयात करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि सरकारी गोदामों में सामान के रख-रखाव की स्थिति में सुधार लाए और कालाबाजारी पर रोक लगाने के प्रयास हों।

उपासना, दिल्ली विवि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।